रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022026-270508
CG-DL-E-26022026-270508

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 977] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2026/फाल्गुन 6, 1947
No. 977] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2026/PHALGUNA 6, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2026

का.आ. 1021(अ).—जबकि, मेसर्स सोलरक्राफ्ट पावर इंडिया 7 प्राइवेट लिमिटेड (एसपीआई7पीएल), जिसका पंजीकृत कार्यालय 109, प्रथम तल, ऋषभ आईपेक्स मॉल, आईपी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली- 110092, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "मेसर्स सोलरक्राफ्ट पावर इंडिया 7 प्राइवेट लिमिटेड की कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी ज़िले में प्रस्तावित पवन ऊर्जा परियोजना हेतु कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. No. 25-17/117/2024-PG दिनांक 26.12.2024 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना "मेसर्स सोलरक्राफ्ट पावर इंडिया 7 प्राइवेट लिमिटेड की कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी ज़िले में प्रस्तावित पवन ऊर्जा परियोजना हेतु कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स सोलरक्राफ्ट पावर इंडिया 7 प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों दक्षिण भारत राष्ट्रमत और नवभारत (दोनों हिन्दी में) दिनांक 06.10.2025, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और द फ्री प्रेस जर्नल (दोनों अंग्रेजी में) दिनांक 06.10.2025, कन्नड़ प्रभा (कन्नड़ में) दिनांक 06.10.2025, सामना (मराठी में) दिनांक 06.10.2025, और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 18.10.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स सोलरक्राफ्ट पावर इंडिया 7 प्राइवेट लिमिटेड ने 23.01.2026 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा

की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत ट्रांसमिशन योजना "मेसर्स सोलरक्राफ्ट पावर इंडिया 7 प्राइवेट लिमिटेड की कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी ज़िले में प्रस्तावित पवन ऊर्जा परियोजना हेतु कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

(i) एसपीआई7पीएल (ग्राम हिरोली, तालुका अलैंड, ज़िला कलबुर्गी, कर्नाटक में स्थित) से सोलापुर पीएस (ISTS) तक 220 केवी एकल सर्किट लाइन, जिसे डबल सर्किट टावरों पर स्थापित किया जाएगा। कुल लाइन की लंबाई लगभग 40.228 कि.मी. होगी, जिसमें से लगभग 36.722 कि.मी. भाग डबल सर्किट टावरों पर एकल सर्किट लाइन के रूप में तथा सोलापुर पीएस छोर से लगभग 3.506 कि.मी. भाग मल्टी-सर्किट टावरों पर एकल सर्किट लाइन के रूप में स्थापित किया जाएगा।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

क्रम सं.	गांव का नाम	तहसील/तालुका	जिला	राज्य
1.	हिरोली, सारसम्बा (सारासम्बा)	अलैंड	कलबुर्गी	कर्नाटक
2.	गोगांव, किरनल्ली, घोलसगांव ,वागदारी (वागदरी), खाजीकनबास (काजीकणबस), किनिवाड़ी (कणीवाडी) पालापुर, किनी (किणी), वोरगांव	**अक्कलकोट**	सोलापुर	महाराष्ट्र
3.	हागलुर, खुदावाड़ी, गुजानूर (गुजनुर), वागदारी (वागदरी), लोहगांव (लोहेगांव), नंदगांव, **चि**वरी, सिंदगांव, नालदुर्ग (नालदुर्ग रूरल), ऐडोला, अंदोरा (अणदुर), फुलवाड़ी, दहितना (दहीटना)	तुलजापुर	धाराशिव	

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स सोलरक्राफ्ट पावर इंडिया 7 प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स सोलरक्राफ्ट पावर इंडिया 7 प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फ़ा. सं. 25-16/18/2026-पावरग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

***

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 25th February, 2026

S.O. 1021(E).— Whereas M/s Solarcraft Power India 7 Private Limited (SPI7PL) having its registered address at 109, First Floor, Rishabh IPEX Mall, IP Extension Patparganj, Delhi – 110092, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s Solarcraft Power lndia 7 Private Limited for its proposed Wind Power Project in Kalaburagi District, Karnataka."

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/117/2024-PG dated 26.12.2024 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s Solarcraft Power lndia 7 Private Limited for its proposed Wind Power Project in Kalaburagi District, Karnataka."

M/s Solarcraft Power India 7 Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Dakshin Bharat Rashtramat and Navbharat (both in Hindi) dated 06.10.2025, The New Indian Express and The Free Press Journal (both in English) dated 06.10.2025, Kannada Prabha (in Kannada) dated 06.10.2025, Saamana (in Marathi) dated 06.10.2025, and in Weekly Gazette of India dated 18.10.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, M/s Solarcraft Power India 7 Private Limited has submitted an affidavit dated 23.01.2026 declaring that no observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the Newspaper/official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s Solarcraft Power lndia 7 Private Limited for its proposed Wind Power Project in Kalaburagi District, Karnataka." The following overhead line is covered under this scheme:

(i) SPI7PL (located in Village Hiroli, Taluka Aland, District Kalaburagi, Karnataka) - Solapur PS (ISTS) 220 kV S/c line on D/c towers. (Total line length is 40.228 km. (approx.) out of which approximately 36.722 kms. would be implemented as S/c line on D/c tower and 3.506 km (approx.) from Solapur PS end would be implemented as S/c line on M/c towers).

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Maharashtra and Karnataka:

Sr. No.	Name of the Villages	Tehsil/Taluka	District	State
1.	Hiroli, Sarsamba (Sarasamba)	Aland	Kalaburagi	Karnataka
2.	Gogaon, Kiranalli, Gholasgaon, Wagdari (Vagdari), Khajikanbas (Kazikunbas), Kiniwadi (Kinivadi), Palapur, Kini (Kiny), Borgaon	Akkalkot	Solapur	Maharashtra
3.	Haglur, Khudawadi, Gujanur (Gujnur), Wagdari (Vagdari), Lohgaon (Lohegaon), Nandagaon, Chivari, Sindgaon, Naldurg (Naldurg Rural), Yedola, Andora (Andur), Phulwadi (Fulwadi), Dahitna (Dahitne)	Tuljapur	Dharashiv	

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Solarcraft Power India 7 Pvt Ltd for above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s Solarcraft Power India 7 Pvt Ltd shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/18/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secry. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.26 15:31:04 +05'30'